

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

विशेषांक

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित]

[Published by Authority

फाल्गुन २, गुरुवार शक सम्वत् १८९५—फरवरी २१, १९७४

Phalguna 2, Thursday. Shak Samvat 1895-February 21, 1974

भाग ४ (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

राजस्व (ग्रुप-८) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी १९, १९७४

जी. एस. धार. २२५ :—राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, १९७३ (राजस्थान अध्यादेश संख्या १० सन् १९७३) की धारा २१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, १९७४ बनाती है जिसका कि पूर्व प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र के भाग ३(ख) में दिनांक ३१ जनवरी, १९७४ को हो चुका है ।

नियम

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(१) ये नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, १९७४ कहलायेंगे ।

२. परिभाषाएँ :—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (1) "अध्यादेश" से तात्पर्य राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्याश, 1973 से है,
- (2) "समापति" से तात्पर्य समिति के किसी ऐसे सदस्य से है जो धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो,
- (3) "संयोजक" से तात्पर्य समिति के किसी ऐसे सदस्य से है जो धारा 6 के अधीन समिति का गठन करने वाली अधिसूचना द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो,
- (4) "मंडल वन अधिकारी" से तात्पर्य उस वन पदाधिकारी से है, जो उस मंडल का प्रभारी हो, जिसमें कि इकाई स्थित हो,
- (5) "तेन्दू पत्तों का निर्यातक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है जो स्वयं के उपयोग के लिये राजस्थान से बाहर तेन्दू पत्तों का निर्यात करता हो अथवा राजस्थान के बाहर किसी स्थान पर तेन्दू पत्तों का व्यापार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष को तेन्दू पत्ता बेचता हो,
- (6) "प्राल्प" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्राल्प से है,
- (7) "क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य सरकार धारा 12 के अधीन निर्देश दे, तेन्दू पत्ते बेचे गये हों,
- (8) "धारा" से तात्पर्य अध्यादेश की धारा से है,
- (9) "मानक बोरा" से तात्पर्य ऐसे बोरे से है जिसमें तेन्दू पत्तों की 50,000 पत्तियाँ हों,
- (10) "मानक गड्डी" से तात्पर्य ऐसे दण्डल से है जिसमें 75 तेन्दू पत्ते हों,
- (11) "परिवहन अनुज्ञा-पत्र" से तात्पर्य तेन्दू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 की उप-धारा (2) खण्ड (ख) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है,
- (12) उन समस्त अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई हों किन्तु उनमें परिभाषित न की गई हों, क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो कि उनके लिये अध्यादेश में दिया गया है।

3. अभिकर्ता की नियुक्ति—(1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन इकाई-इकाइयों के लिये आमंत्रता या आमकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिये, राज्य सरकार अभिकरण के निबन्धन तथा शर्तें देते हुए और ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए, सूचना राज-पत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जिसे कि वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा।

(2) अभिकरण के लिये आवेदन-पत्र प्रारूप 'क' में होगा, जो कि संबंधित मंडल

वन अधिकारी के कार्यालय से अथवा किसी अन्य मंडल वन अधिकारी से, प्रत्येक प्ररूप के लिये एक रुपया देने पर प्राप्त किया जा सकेगा।

(3) अभिकरण संबंधी प्रत्येक आवेदन-पत्र के लिये न लौटाने योग्य 10 रुपये (दस रुपये) धनराशि संदाय किया जायेगा। धनराशि वन विभाग द्वारा धनराशि स्वीकार करने के लिये विहित नियमों के अनुसार उस वन मंडल के खाते में देय होगी जिसमें कि इकाई स्थित हो।

(4) (एक) अभिकरण के लिये आवेदन-पत्र, विहित आवेदन-फोर्स सहित सभी दृष्टियों से पूर्ण किया जाकर ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे दिनांक तक तथा ऐसी रीति में, जिसे कि पूर्वोक्त सूचना द्वारा उल्लिखित किया जाय, प्रस्तुत किया जायगा।

(दो) किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति अथवा पक्ष की ओर से आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह मंडल वन अधिकारी के समक्ष ऐसा व्यक्ति अथवा पक्ष जो कि उसे उसके लिए अथवा उनके लिए कार्य करने को सक्षम बनाना है, द्वारा निष्पादित की गई एट नों की शक्ति मूलतः प्रस्तुत न करे तथा उसकी प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न न करे अथवा जिस फर्म के भागीदार होने का वह दावा करता हो उसके रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

(तीन) आवेदनकर्ता, अपना आवेदन-पत्र, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा उसके आवेदन-पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के आदेश नहीं दिये जाते अथवा कोई अन्य व्यक्ति उस इकाई के लिये अभिकर्ता नहीं नियुक्त हो जाता, अपना आवेदन-पत्र वापिस न लेगा। इस उपबन्ध का उल्लंघन करने पर नीचे के उप नियम 5 के अन्तर्गत निश्चित अग्रिम प्रतिभूति-निक्षेप अधिकरण योग्य होगा।

(5) (एक) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ कोषागार का चालान संलग्न होगा जो यह दर्शायेगा कि आवेदक द्वारा शीर्ष "राजस्व निक्षेप" के अधीन 500 रुपये (पाँच सौ रुपये) का नकद निक्षेप अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप के रूप में मंडल वन अधिकारी के नाम में किया गया है, राजस्व निक्षेप करने के लिये चालान किसी भी मंडल वन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा।

(दो) ऊपर वर्णित अग्रिम प्रतिभूति-निक्षेप के अतिरिक्त, आवेदनकर्ता या तो अग्रिम प्रतिभूति के बराबर नगदी में अतिरिक्त धन जमा करेगा अथवा उप-नियम (एक) के अन्तर्गत जारी की गई उपरोक्त सूचना में बतलाई गई धनराशि के बराबर व्यक्तिगत शोध-क्षमता का प्रमाण-पत्र अथवा ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले स्वतंत्र-प्रतिभूति का प्रतिभूति बंधनामा संलग्न और प्रस्तुत करेगा।

(6) राज्य सरकार किसी आवेदन-पत्र को इस संबंध में कोई भी कारण बतलाये बिना, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप उन आवेदकों को लौटा दिया जायेगा जिन के कि आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हों। अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये आवेदक का अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, उप-नियम (9) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, उप-नियम (10) के अधीन ओक्षित प्रतिभूति निक्षेप के प्रति समायोजित किया जायगा।

(7) यदि राज्य सरकार की राय में उन व्यक्तियों में से, जिन्होंने अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिये आवेदन किया जो उपयुक्त अभिकर्ताओं को इस प्रयोजन के लिए चुनना सम्भव न हो या जहाँ अभिकरण समाप्त कर दिया गया हो और नये आवेदन-पत्र नंगाने

के लिये पर्याप्त समय न हो तो राज्य सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति या पक्ष की अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति कर सकेंगी, जो कि उस की राय में इस कार्य के लिये उपयुक्त हों।

(8) वह व्यक्ति या पक्ष जो अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जायगा, प्ररूप 'ख' में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(9) (एक) अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने पर, इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति या पक्ष, नियुक्ति का आदेश प्रसारित होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप 'ग' में करार निष्पादित करेगा जिसे निष्पादन न करने पर नियुक्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी और इस प्रकार रद्द किये जाने पर—

- (क) अग्रिम प्रतिमूर्ति निक्षेप अधिहरित कर लिया जायेगा, और
- (ख) अभिकर्ता, नियुक्ति रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि की यदि कोई हो चकाने का दायित्वाधीन स्वयं होगा राज्य सरकार की हानि वह धनराशि होगी, जिसकी निम्नानुसार संगणना की जाय—
- (अ) शासन की हानि,
- (ब) इकाई के लिये अधिसूचित मानक बोरो की संख्या और संग्रहित तथा परिदत्त किये गये मानक बोरो की संख्या का अन्तर,
- (स) राज्यशल्क (रायल्टी) प्रति मानक बोरा वह रकम होगी जो उस दर में जिस पर सरकार पत्तियाँ बेचती हैं क्रेता को पत्तियों का परिदान किये जाने तक सरकार द्वारा प्रति मानक बोरा किये गये समस्त खर्च घटाने पर शेष रहे,

$$अ = ब \times म$$

- (दो) अभिकर्ता को नियुक्ति का आदेश या तो व्यक्तिगत तौर पर परिदत्त किया जायेगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायगा।

(10) (एक) किसी विशिष्ट इकाई के लिये इस प्रकार नियुक्त किया गया अभिकर्ता करार पर इस्ताफ़र करने के पूर्व, करार के निबन्धों तथा शर्तों के अनुसार एवं अध्यादेश तथा इन नियमों के उद्देश्यों के अनुसार अभिकरण के उचित निष्पादन तथा सम्पादन के लिये पति-मूर्ति के रूप में ऐसी निम्नतम राशि जमा करेगा जिसकी कि निम्नानुसार संगणना की जायगी :—

- (म) उप-नियम (1) के अधीन सूचना में इकाई के सामने वर्णित अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बाद में निश्चित तैदू पत्तों के मानक बोरो की संख्या,
- (म) इकाई के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिग्रहीत प्रति मानक बोरे की क्रय पर,
- (य) इकाई के लिये नियत किये गये प्रति मानक बोरे का संग्रहण संबंधी अधिकतम खर्च,
- (क) प्रतिमूर्ति-निक्षेप:—

$$म(म-य)$$

$$क = \frac{\text{म}(म-य)}{\text{म}}$$

अर्थात् पूर्वोक्त प्रति बोरे की क्रय दर तथा पूर्वोक्त प्रति बोरे के संग्रहण संबंधी खर्च के बीच होने वाले अन्तर के 10 प्रतिशत में बोरो की पूर्वोक्त संख्या से गुणा करने पर आने वाली रकम।

उत्पन्नरूप में संगणना की गई घनराशि नियुक्ति के आदेश में बतलाई जायेगी, अभिकर्ता द्वारा पूर्वोक्त प्रतिभूति की रकम निक्षेप न करवाने की दशा में उक्त रकम उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को निक्षेप करने के लिये अनुदान किया जा सकेगा, तथापि इस शर्त के अधीन रहने हुए उसके द्वारा प्रतिभूति के रू। में इस प्रकार निश्चित की गई रकम इन नियमों तथा कगार के प्रयोजनों के लिये उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन होगी मानो कि ऐसी रकम स्वयं अभिकर्ता द्वारा विक्षिप्त की गई है।

(दो) यह प्रतिभूति निक्षेप या तो नगदी में या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक की गारन्टी या पोस्ट आफिस की मंजूरी से संबंधित मण्डल वन अधिकारी को अन्तरित किए गये अभ्यार्थ मूल्य पर नेशनल ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टिफिकेट्स और दि नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स या पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट के रूप में होगी।

(तीन) यह प्रतिभूति-निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या अन्दातः मण्डल वन अधिकारी द्वारा, पत्तों के कम संग्रहण के लिये शास्ति, प्रति कर, नुकसान और किन्हीं अन्य शोध्यों को, जो कि करार, इन नियमों तथा अध्यादेश के उपबन्ध के अधीन बसूली योग्य हो, बसूली के प्रति, यदि कोई हो, समायोजित किया जायेगा और यदि मण्डल वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में आदेश दिया जाय तो ऐसी समस्त कटौतियों की पूर्ति अभिकर्ता द्वारा, उस आशय की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी।

(चार) यदि बसूल किये जाने वाले शोध्य प्रतिभूति-निक्षेप की रकम से अधिक हो तो अधिक होने वाली रकम, जब तक उसकी पूर्ति मण्डल वन अधिकारी को उस आशय की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाय, भू-राजस्व के बकाया की मांति बसूली योग्य होगी।

(पांच) यथास्थिति प्रतिभूति-निक्षेप या शेष रकम मण्डल वन अधिकारी द्वारा यह समाधान करने के पश्चात् कि अभिकर्ता ने करार तथा इन नियमों के अन्तर्गत समस्त निबन्धनों तथा औपचारिकताओं का निर्वहन किया है और यह भी कि उसके ऊपर कोई देय धन-बकाया नहीं है, अभिकर्ता या अभिकर्ता की ओर से उसका निक्षेप करने वाले व्यक्ति को या पक्ष को लौटा दी जायेंगी।

(छ) ऊपर वर्णित प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त अभिकर्ता व्यक्तिगत शोध-दमन का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले स्वतंत्र प्रतिभू का ऐसी रकम का प्रतिभूति बन्धनामा जो खंड (1) में उपबन्धित न्यूनतम नकद प्रतिभूति-निक्षेप के बराबर होगा करार निष्पादित करने के एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(11) (एक) जब तक कि मण्डल वन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाय अभिकर्ता तैदू-पत्तों का क्रय धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) के पद 1, 2, 3 तथा (ग) में वर्णित व्यक्तियों से करेगा और वह तैदू पत्तों का संग्रहण राजकीय भूमि से उसके द्वारा खोले गये या मण्डल वन अधिकारी की आज्ञा द्वारा खोले जाने वाले संग्रहांगार या संग्रहांगारों पर अध्यादेश, करार तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगा, मण्डल वन अधिकारी उसे इस सम्बन्ध में समय समय पर ऐसे समुचित निर्देश दे सकेगा जो अध्यादेश, नियमों तथा करार के उपबन्धों से असंगत न हों।

(दो) अभिकर्ता मण्डल वन अधिकारी के या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत

अधिकारी द्वारा लिखित में आदेशित न किया जाय, अभिकर्ता इकाई के भीतर किन्हीं भी संग्रहागारों में कय और संग्रह के कार्य को बन्द अथवा शिथिल नहीं करेगा।

(तीन) उर्रोक्त कार्य के अतिरिक्त, अभिकर्ता यदि उपेक्षित किया जाय, इकाई के भीतर तेंदू पौधों का करतन उस विषय के संबंध में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार करेगा।

(12) विशिष्ट संग्रहागारों से विशिष्ट मात्रा में पत्तों का परिदान रोकने या किसी दूसरे व्यक्ति अथवा पक्ष को उनका परिदान करने सम्बन्धी मण्डल वन अधिकारी के लिखित आदेशों के अधीन रहते हुए और उसकी सीमा तक अभिकर्ता उसके द्वारा कय किये गये तथा संग्रहीत तेंदू पत्तों का तुरन्त अथवा मण्डल वन अधिकारी द्वारा आदेशित रूप में तथा रीति से, इकाई के लिये नियुक्त क्रेता को परिदान करेगा :

परन्तु कोई भी परिदान तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि अभिकर्ता यह सुनिश्चित न करले कि इस प्रकार परिदत्त किये जाने वाले पत्तों के लिये आवश्यक देनगी विहित रीति में की जा चुकी है।

(13) अभिकर्ता ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी नियत कालिक विवरणियाँ जो कि ऐसे पक्षाधिकारी द्वारा, जो मण्डल वन अधिकारी के पद से नीचे का न हो, विहित की जाय, मण्डल वन अधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(14) अभिकर्ता उसके द्वारा इकाई के भीतर नियोजित किये गये व्यक्तियों को उनके नमूने के हस्ताक्षरों सहित सूची जैसे और जब भी नियोजन किया वैसे ही तुरन्त देगा और समस्त ऐसे व्यक्ति, जिनके बारे में मण्डल वन अधिकारी द्वारा आपत्ति की जाय, अभिकर्ता द्वारा नियोजन से तुरन्त हटा दिये जायेंगे।

(15) पूर्ववर्ति उपबन्धों की कोई भी बात अभिकर्ता को उस इकाई में जिसके लिए वह अधिकार नियुक्त किया गया है, तेंदू-पत्तों के कय तथा संग्रह करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती हुई नहीं समझी जायेगी और राज्य सरकार को उस इकाई में या तो स्वायत्त उस के द्वारा लिखित में प्राधिकारी द्वारा तेंदू पत्तों के कय तथा संग्रह करने का अधिकारी होगा।

4. परिवहन अनुज्ञा-पत्र :—(1) परिवहन अनुज्ञा-पत्र निम्न चार प्रकार के होंगे और ऐसे अधिकारियों तथा अथवा व्यक्तियों द्वारा दिये जायेंगे जो उनके सामने वर्णित हैं :—

परिवहन अनुज्ञा-पत्र के प्रकार (1)	अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला अधिकारी (2)
--------------------------------------	--

(क) संग्रहागारों से गोदामों में परिवहन के लिए :—

- | | |
|--|---|
| (क) मुख्य अनुज्ञा-पत्र (प्ररूप परि. अनु. I)
(मुख्य) | मण्डल वन अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी। |
| (ख) सहायक अनुज्ञा-पत्र (परि. अनु. I)
(सहायक) मुख्य, अनुज्ञा-पत्र में दर्शायी गई मात्रा तक | मण्डल वन अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा। |

1

2

- (दो) एकाग्रतापूर्वक दुसरे अनुज्ञापत्र को मण्डल वन अधिकारी या उसके द्वारा लिखित अथवा वितरण केंद्रों तक परिवहन हेतु। में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी गोर/या व्यक्त; निश्चित मात्रा तथा अवधि तक।
(परि. अनु. 4)
- (तीन) वितरण केंद्रों से मजदूरों तक परिवहन के लिए (परि. अनु. III) मण्डल वन अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में परिवहन किये जाने वाले प्रत्येक माल की अधिकतम मात्रा उल्लिखित करते हुए प्राधिकृत कोई व्यक्ति।
- (चार) राज्य के बाहर निर्यात के लिए। मण्डल वन अधिकारी।
(परि. अनु. 4)

परन्तु मण्डल वन अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके द्वारा परिवहन अनुज्ञापत्र जारी किया जाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति योग्य नहीं हैं, तो वह ऐसा अधिकारी तुरन्त रद्द कर देगा।

(2) ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार के परिवहन अनुज्ञापत्र को जारी करने के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप (घ) में होगा और मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा जो कि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करेगा अथवा अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा :

परन्तु मण्डल वन अधिकारी, यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि पत्ते जिनके सम्बन्ध में आवेदन-पत्र दिया गया है, राज्य सरकार अथवा उसके पदाधिकारी अथवा अधिकृत से किये नहीं किये गये हैं, तो आवेदनकर्ता को परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित हो सुनवाई का अवसर देते हुए, लिखित में आदेश देकर ऐसे आवेदन-पत्र का ऐसी अस्वीकृति का कारण दर्शाते हुए, अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) समस्त प्रकार के अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:—

- (क) तेन्तू पत्तों के प्रत्येक माल (कन्साइनमेन्ट) के सड़क, रेल, जल या तय्या इवाई किसी भी परिवहन साधन में ले जाते समय सम्बन्धित प्रकार का परिवहन अनुज्ञापत्र उसके साथ होगा।
- (ख) पत्तों का परिवहन केवल उस मार्ग द्वारा ही किया जायगा जो कि अनुज्ञापत्र में उल्लिखित हो और जांच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान या स्थानों पर पेश किया जायगा जो कि उसमें उल्लिखित किये जायें।
- (ग) मण्डल वन अधिकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय पत्तों का परिवहन नहीं किया जायगा।
- (घ) अनुज्ञापत्र ऐसी कालावधि के लिये मान्य होगा जो कि उसमें उल्लिखित की जाय।

- (9) धारा 7 के अधीन निश्चित मूल्य हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में ही राजपत्र में

तथा यदि आवश्यक समझा जावे सम्बन्धित वन मण्डल में प्रचलित ऐसे समाचार-पत्रों में जिन्हें सम्बन्धित वन संरक्षक निश्चित करें, प्रकाशित किये जावेगे।

(10) समिति के अराजकीय सदस्य ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के लिए दिया जाता है।

(11) यात्रा भत्ते के बिल संयोजक को प्रस्तुत किये जायेंगे जो परिनरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करेगा तथा उन भत्तों को सवितरित करेगा।

6. उगाने वालों का पंजीकरण—(1) राज्य सरकार को छोड़ कर, तेन्दू-पत्तों का प्रत्येक उगाने वाला, यदि यह सम्भावना हो कि वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों का परिमाण एक मानक बोरे से अधिक हो जायेगा, स्वयं को धारा 10 के अधीन पंजीकृत करा लेगा।

(2) उगाने वाले के रूप में पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्रारूप 'ड.' में होगा तथा उस वन क्षेत्रीय अधिकारी (रेन्ज आफिसर) के समक्ष फाइल किया जायगा जिसके कि क्षेत्राधिकार के भीतर उगाने वाले की यह मूमि स्थित हो, जिस पर कि तेन्दू के पांघे उगते हैं, पारिभेव पदाधिकारी, सम्बन्धित सत्यापन के पश्चात् आवेदन-पत्र उसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर मण्डल वन अधिकारी को अर्पित करेगा, जो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, प्रारूप 'ब' में प्रमाण-पत्र मन्जूर कर सकेगा या आवेदन-पत्र को, उसके लिये कारण अभिलिखित कर के नामन्जूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र उस समय तक वैध रहेगा जब तक कि मण्डल वन अधिकारी द्वारा लिखित में कारण बताते हुए उसे रद्द अथवा संशोधित नहीं किया जाता अथवा जब तक कि आवेदनकर्ता के पास ऐसी मूमि है जिसके कि सम्बन्ध में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है, जो भी पूर्ववर्ती हो।

(4) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाता है अथवा विकृत हो जाता है तो प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये रु. 1 की देनगी पर, उसको प्रमाणित प्रतिलिपि मण्डल वन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

(5) उपरोक्त प्रमाण-पत्र विक्रय के लिये तेन्दू पत्तों का परिदान किये जाते समय संग्रहागार पर प्रस्तुत किया जायेगा और उगाने वालों के पत्तों के क्रय के लिये प्राधिकृत व्यक्ति उसके द्वारा क्रय की गई पत्तों की मात्रा उल्लेख करेगा।

(6) यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जावे तो, तेन्दू पत्तों का उगाने वाला प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारी प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई को मण्डल वन अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ किसी अन्य वन पदाधिकारी द्वारा विदित प्रारूप में उसके द्वारा एकत्रित किये गये मानक बोरे में, तेन्दू पत्तों की मात्रा का तथा 30 जून को समाप्त होने वाले पत्ती तोड़ने के मौसम में किये गये निवतन का लेखा प्रस्तुत करेगा, उपरोक्त लेखाओं को उल्लिखित दिनांक तक प्रस्तुत न करने पर यह समझा जायेगा कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द हो गया है।

7. अस्वीकृत तेन्दू पत्तों के बारे में जांच की प्रक्रिया—(1) धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, जांच करने वाला पदाधिकारी यथासंभव शीघ्र

सम्बन्धित पक्ष या पक्षों को, जाँच करने के लिये नियत किया गया स्थान, दिनांक तथा समय प्रज्ञापित करेगा।

(2) नियत दिनांक पर या किसी ऐसे पश्चात्कर्ती दिनांक पर, जिसको कि जाँच स्थगित की जाय, ऐसा पदाधिकारी, उन पक्षों को या उसके सम्यकरूपेण प्राधिकृत किए गये प्रतिनिधियों की, जो कि उसके समक्ष उपसंजात हो, सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् जिसे कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उप-धारा (3) या (4) के अनुसार ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) यदि पक्ष, जैसी भी दशा हो, या तो स्वयं या अपने सम्यकरूपेण प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपसंजात न हो, तो जाँच अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, एकपक्षीय विनिश्चय करेगा :

परन्तु यदि जाँच पदाधिकारी का यह समाधान हो जाय कि पक्ष या पक्षों के उपसंजात न होने का पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह उचित समझे, एक पक्षीय आदेश को निष्प्रभावित करते हुए यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) कोई भी प्रतिकर, जिसके कि चुकाये जाने का आदेश जाँच के परिणाम-स्वरूप दिया गया हो, या कोई भी संग्रहण व्यय जिनके कि धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन चुकाये जाने के लिये इस प्रकार आदेश दिया गया हो, सम्बन्धित पक्ष को आदेशों के संसूचित किये जाने से एक मास के भीतर चुकाये जायेंगे।

8. बीडी निर्माताओं या/अथवा तेन्दू-पत्ता निर्यातकों का पंजीकरण:—(1)
बीडियों के निर्माता या अथवा तेन्दू पत्ता के निर्यातक का रजिस्ट्रीकरण 25) रुपये वार्षिक पंजीकरण फीस देने पर इसमें आगे दिये अनुसार किया जायगा।

(2) धारा 11 के अधीन पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र प्ररूप "छ" में होगा और वह उस मण्डल वन अधिकारी के समक्ष फाइल किया जायेगा जिसके कि क्षेत्राधिकार के भीतर बीडी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्तों का निर्यातक रहता हो या उसके कारदार का मुख्य स्थान स्थित हो, यदि निर्माता या निर्यातक राज्य के बाहर निवास करता हो, तो वह अपना आवेदन-पत्र राज्य के भीतर किसी भी मण्डल वन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आवेदनकर्ता जिस कलेंडर वर्ष के लिये पंजीकरण वांछित हो वह वर्ष दर्शायेगा। पंजीकरण फीस अग्रिम रूप से जमा की जावेगी तथा इस साक्ष्य की प्रतिलिपि की घनराशि जमा करदी गई है, पंजीकरण के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जावेगी। मण्डल वन अधिकारी, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, प्ररूप "ज" में पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या तदर्थ कारण अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन-पत्र रद्द कर सकेगा।

(3) पंजीकरण उसी वर्ष के लिये मान्य होगा जिसके लिये पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाय।

(4) प्रत्येक पंजीकृत बीडी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्तों का निर्यातक प्ररूप "ज" में तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा। वह मण्डल वन अधिकारी को प्ररूप "झ" में स्टॉक की दो विवरणियाँ एक 31 मार्च को तथा दूसरी 30 सितम्बर को प्रति वर्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) मण्डल वन अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन मन्ज़र किये गये पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर प्रत्येक बीड़ी निर्माता तथा/या तेन्दू पत्तों का निर्यातक मण्डल वन अधिकारी को प्ररूप "ट" में एक घोषणा 31 मार्च तक या ऐसे अन्य दिनांक तक जो कि राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाय अथवा विकृत हो जाये तो ऐसे प्रत्येक प्रमाण-पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि, मण्डल वन अधिकारी को रु. 5.00 की देनगी पर, प्राप्त की जा सकती है।

(7) ऐसे बीड़ियों के निर्माता अथवा/या तेन्दू पत्तों के निर्यातक का पंजीकरण प्रमाण-पत्र जिसमें कि अध्यादेश, इन नियमों और/अथवा राज्य सरकार के साथ किये गये करार की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया जो, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यादेश की धारा 16 के अन्तर्गत दंडित किया गया हो या उसके करारनामों को समाप्त कर दिया हो वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता द्वारा रद्द किया जाने योग्य होगा और ऐसे बीड़ी निर्माता अथवा/या निर्यातक का पंजीकरण ऐसी कालावधि के लिये, जो कि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, अस्वीकृत किया जा सकेगा, परन्तु यदि सम्बन्धित बीड़ियों का निर्माता या/अथवा निर्यातक उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

9. विक्रय प्रमाण-पत्र—राज्य सरकार या उसका पदाधिकारी या अधिकर्ता, जो केता को पत्तों का विक्रय या परिदान करता हो, उसे प्ररूप "ठ" में विक्रय प्रमाण-पत्र मन्ज़ूर करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से जो धारा 12 के अधीन राज्य सरकार से पत्तों का क्रय कर चुकाने का दावा करे, यह अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने दावे के समर्थन में ऐसा विक्रय प्रमाण-पत्र पेश करे, जिसके पेश न करने की दशा में उसका दावा प्रतिग्रहित नहीं किया जावेगा।

10. (1) धारा 13 की उप-धारा (3) के अधीन तेन्दू पत्तों की खुदरा बिक्री हेतु इच्छुक व्यक्ति प्रायःना-पत्र प्ररूप "ड" में सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(2) मण्डल वन अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे लाईसेन्स स्वीकृत करेगा।

(3) लाईसेन्स उसी वर्ष के लिये मान्य होगा जिस वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है।

प्ररूप "क"

[नियम 3 (2) देखिये]

अधिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र

1. आवेदक तथा उसके पिता का पूरा नाम (यदि
 फर्म है तो साझीदारों के नाम तथा फर्म के लिये
 भुस्तारनामा धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम)
2. व्यवसाय
3. पूरा पता

4. व्यवसाय के स्थान या स्थानों के नाम
5. तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में पूर्व अनुभव, यदि कोई हो,
तथा संकार्य का/के क्षेत्र
6. तेन्दू पत्तों का परिमाण जिनका गत तीन वर्षों में संग्रह
तथा व्यापार किया गया हो (संकार्य के प्रत्येक क्षेत्र
के लिये प्रत्येक वर्ष के संबंध में पृथक्-पृथक् दर्शाया
जाना चाहिए
7. निजी संपत्ति के विवरण सहित वित्तीय स्थिति,
संपत्ति, आयकर की वार्षिक देनगी तथा वित्तीय-
स्थिति से संबंधित कोई अन्य सुसंगत साक्ष्य
8. इकाई, जिसके संबंध में अभिकरण के लिये आवेदन
किया गया है
9. रु. 10 आवेदन फीस की देनगी का साक्ष्य
10. नियम 3 (5) के अनुसार यथा स्थिति रु. 500 या
1,000 अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप की देनगी का प्रमाण-
पत्र
11. नियम 3 (5) के अनुसार वैयक्तिक शोष-क्षमता का
प्रमाण-पत्र या प्रतिभूति

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबन्धों को, और सूचना में वर्णित की गई अभिकरण की दतों को, पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं, मैंने/हमने इकाई क्रमांक का स्वयं निरीक्षण किया है यदि मुझे/हमें ऊपर वर्णित की गई इकाई के लिये अभिकर्ता नियुक्त कर दिया जाय, तो मैं/हम तेन्दू पत्तों का वह परिमाण जो कि सूचना में यथावर्णित मानक बोरे की संख्या से कम नहीं होगा। उगाने वालों से क्रय करने तथा राजकीय भूमियों से संग्रहित करने, और दोनों ओर से परिदत्त करने के लिये वचन देता हूँ/देते हैं। मैं/हम नियुक्ति के आदेश देने के दिनांक से 15 दिन के भीतर नियमों के अधीन विहित किये गये प्रारूप में, राजस्थान सरकार के साथ करार निष्पादित करूंगा/करेंगे।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप "ख"

[नियम 3 (8) देखिये]

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 तथा उसके अधीन

बनाये गये नियमों के समस्त उपबन्धों को तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 के नियम 3 (1) के अधीन जारी की गई सूचना में वर्णित की गई अभिकरण की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं मैंने/हमने इकाई क्रमांक का स्वयं निरीक्षण किया है मैं/हम तेन्दू पत्तों का वह परिमाण, जो कि मानक बोरो से कम नहीं होगा उगाने वालों से क्रय करने; राजकीय भूमियों से संग्रहीत करने तथा दोनों ओर से परिदत्त करने के लिये वचन देता हूँ/देते हैं।

.....
अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

साक्षीगण:— (1)
(2)

प्ररूप "ग"

[नियम 3 (9) देखिये]

यह करार आज दिनांक मास सन् को प्रथम पक्ष के माफत कार्य करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मैसर्स आत्मज ग्राम तहसील जिला जिन्हें (इसमें इस के आगे अभिकर्ता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनमें दामाद, उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूंकि तेन्दू पत्तों का व्यापार राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश 1973 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित होता है।

और चूंकि राज्य सरकार को इस प्रयोजन के लिये विभिन्न इकाईयों में उक्त अध्यादेश की धारा 4 (1) के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी है।

और चूंकि राज्य सरकार अभिकर्ता की प्रार्थना पर उसे, इसमें इसके पश्चात् दिये हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर वन मण्डल में इकाई/इकाईयों क्रमांक के लिये अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए राजामन्द हो गया है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे सम्बन्धित पक्ष, एतद्द्वारा, निम्नलिखित रूप में परस्पर करार करते हैं:—

(1) राज्य सरकार एतद्द्वारा श्री/मैसर्स को इसमें वर्णित प्रयोजनों के लिये के वन मण्डल की इकाई क्रमांक में, जिसे जिन्हें अधिक पूर्णता से अनसूत्री (क) में वर्णित किया गया है तथा इससे उपाबद्ध मानचित्र में दर्शाया गया है (जो इसमें आगे इकाई के रूप में निर्दिष्ट है/हैं) अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है।

(2) यह करार दिनांक से दिनांक

तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि वह इन प्रलेखों के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उसके पूर्व ही समाप्त न कर दिया जाय।

(3) राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (जिसे इसके आगे उक्त अध्यादेश कहा गया है) तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 (जो इसमें इसके आगे उक्त नियम के नाम से निर्दिष्ट है) के उपबन्ध इस प्रलेख के भाग होंगे और उनका इस प्रकार अर्थ लगाया जायेगा मानों कि वे इस प्रलेख में विशेष रूप से समाविष्ट हों।

(4) अभिकर्ता को इकाई में तेन्दू पत्तों के मानक बोरो के संग्रहण तथा परिदान का आयोजन करने के हेतु पूरी ऋतु के लिये पारिश्रमिक के रूप में रुपये चुकाये जायेंगे, परन्तु—

(एक) अभिकर्ता, मानक बोरो के ऐसे परिमाण के लिये, जो कि ऊपर वर्णित किये गये परिमाण से अधिक संग्रहीत परिदत्त किया गया हो रुपये प्रति मानक बोरो की दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा, और

(दो) अभिकर्ता ऊपर वर्णित संख्या से कम पड़ने वाले मानक बोरो के लिये रुपये प्रति मानक बोरो की दर से संगणित की गई रकम उसके पारिश्रमिक में से काटी जाने के दायित्वाधीन होगा।

(5) यदि अभिकर्ता एतद्वारा राज्य सरकार के साथ निम्नानुसार अभिव्यक्त रूपेण करार करता है :—

(एक) वह तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गये समस्त संव्यवहारों में राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से कार्य करेगा। वे समस्त खर्च तथा व्यय जिन्हें कि व्यवस्थिति कर्तारने, संग्रह, परिवहन, बोरो में भरने तथा हस्तन करने के मददे पूरा करने या करने की इस प्रलेख के अधीन उससे अपेक्षा की जाती हो, अनुसूची (ख) में उल्लिखित की गई दरों से अधिक नहीं होंगे, उपर्युक्त खर्चों तथा व्ययों की जिनमें ये खर्च तथा व्यय सम्मिलित हैं जिनका नोचे दिये गये खण्ड (चार) तथा (पाँच) के अधीन किया जाना अपेक्षित हो, किन्तु जो कि उसकी ओर से होने वाली उपेक्षा या अवचार के लिये भरपाई, या शास्ति के रूप में न होकर अन्य रूप में हो, उसके द्वारा, अपने अधिकार में रखे गये प्रारम्भिक अग्रदाय धन तथा इस करार के निबन्धनों के अनुसार उसके द्वारा तत्पश्चात् प्राप्त हुई रकमों में से पूर्ति की जायेगी, तथा उसके द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से इस प्रकार किये गये समस्त व्यय नियतकालिक या अन्तिम हिसाब लेते समय समायोजित किये जायेंगे।

(दो) (क) वह केवल ऐसे पत्तों का, जो बीड़ियों के निर्माण के लिये उपयुक्त हों, उगाने वालों से क्रय और/ या राजकीय मूमि से संग्रह करेगा यदि इस प्रकार संग्रहीत पत्तों का, अनुबन्धित समय के भीतर तथा पत्तों के परिदान के लिये उपबन्धित रीति में क्रेता द्वारा परिदान नहीं किया जाय तो वह सुखान तथा बोरो में भरने का संकार्य ऐसी रीति से करेगा कि पत्ते बीड़ियों के निर्माण

के लिये उपयुक्त बने रहें मण्डल वन अधिकारी ऐसे पत्तों को जो उसकी राय में बीड़ियों के निर्माण के लिये उपयुक्त न हों, अस्वीकार कर सकेगा, अभिकर्ता ऐसे अस्वीकृत पत्तों के क्रय या संग्रहण के कारण किसी भी भुगतान को प्राप्त करने के लिये हकदार नहीं होगा और यदि कोई रकम पूर्व में ही चुका दी गई हो तो वह अभिकर्ता से वसूल की जायेगी।

उसके द्वारा इस प्रकार के क्रय और/या संग्रह किये गये तेन्दू पत्तों के बोरा संख्या बोरी से कम नहीं होगी और प्रत्येक बोरे में 50,000 पत्तियां होंगी :

परन्तु यदि अभिकरण के विद्यमान रहने के दौरान में राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया पदाधिकारी उस इकाई में तेन्दू पत्तों के क्रय और/या संग्रहण करता है तो इस प्रकार क्रय और/या संग्रहीत की गई पत्तों की मात्रा, इस अनुच्छेद के अधीन बोरा की मात्रा अवधारित करने के प्रयोजन के लिये अभिकर्ता के नाम आकलित की जावेगी, बशर्ते कि राज्य सरकार या पूर्वोक्त पदाधिकारी द्वारा ऐसा क्रय और/या संग्रहण अभिकर्ता द्वारा समय पर संग्रहण का कार्य प्रारम्भ न करने के कारण या अभिकरण के विद्यमान रहने के दौरान उसके कार्य बन्द कर देने के कारण न हो।

- (तीन) अधिकर्ता, उगाने वालों को उसी दिन, जिस दिन कि पत्ते क्रय किये जायें, ऐसे क्रय मूल्य की देनगी करेगा कि जो कि अध्यादेश को धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय तथा अनुसूची "ग" में उल्लिखित किया जाय।
- (चार) वह राजकीय वनों तथा अन्य भूमियों से पत्तों का संग्रहण करने के लिये उगाये गये व्यक्तियों को ऐसे संग्रहण सम्बन्धी व्ययों को जो कि राजपत्र में अधिसूचित तथा अनुसूची "घ" में उल्लिखित किये गये हों, उसी दिन जिस दिन कि पत्ते के परिदत्त किये जायें देनगी करेगा।
- (पाँच) वह तेन्दू पत्तों के ऐसे परिमाण का, उस इकाई के लिये नियुक्त क्रेता या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कि मण्डल के मण्डल वन अधिकारी द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त वन पदाधिकारी कहा गया है) समय-समय पर निर्देशित किये जायें, तथा पत्तों के परिदान के लिये उपबन्धित रीति में परिदान करेगा।
- (छ) वह इकाई के भीतर ऐसे केन्द्रों में ऐसे संग्रहागार (कलेक्शन डिपो) खोलेगा तथा संग्रह सम्बन्धी गोदामों (स्टोरेज गोडाउन्स) का निर्माण करवायेगा जिनका कि उक्त वन पदाधिकारी द्वारा निर्देश किया जाय। अभिकर्ता मण्डल वन अधिकारी द्वारा या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित आदेश न दिया जाय अभिकर्ता किसी भी संग्रहागार में क्रय और संग्रहण के कार्य को स्थगित अथवा बन्द न करेगा, और
- (सात) वह उक्त वन पदाधिकारी को लिखित अनुज्ञा के बिना किसी संग्रहण सम्बन्धी कोष्ठागार से या किसी संग्रह सम्बन्धी गोदाम से तेन्दू पत्ते नहीं हटायेंगा।
- (आठ) वह तेन्दू पत्ते हाथ से तुड़वायेगा और संग्रहण की प्रक्रिया में किसी कुल्हाड़ी या अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(ती) वह अप्रैल के 16वें दिवस तथा अगस्त के 15 वें दिवस के बीच तेन्दू के वक्षों का स्कन्धकर्ता नहीं करेगा ।

(दस) वह राज्य सरकार द्वारा तेन्दू पत्तों के क्रय और संग्रह के लिये अधिसूचित की गई दरों को स्थानीय भाषा में प्रत्येक संग्रहागार पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगा ।

(ग्यारह) वह तेन्दू पत्तों के विनियोग से सम्बन्धित ऐसे समस्त अधिकारों का लिहाज करेगा जो कि प्राइवेट व्यक्तियों में विधिपूर्वक निहित हों ।

(बारह) वह ऐसे रजिस्टर तथा लेखे ऐसे प्ररूप में रखेगा जो कि समय समय पर विहित किये जायें ।

(तेरह) वह उक्त वन पदाधिकारी को या ऐसे पदाधिकारी को, जो कि उक्त वन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय, ऐसे अन्तरालों पर ऐसी नियतकालिक विवरणायें प्रस्तुत करेगा जिनका कि उक्त वन पदाधिकारी द्वारा समय समय पर निर्देश दिया जाय ।

(चौदह) वह उक्त वन पदाधिकारी को तथा ऐसे किसी पदाधिकारी को, जो कि उक्त वन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय, किसी संग्रहण सम्बन्धी कोष्ठागार तथा संग्रह सम्बन्धी गोदाम में रखे गये अपने स्टाफ तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये समस्त सुविधायें देगा ।

(पन्द्रह) वह किसी भी ऐसे नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा जो कि राजकीय वन में उसके संकार्य के अनुक्रम में उसकी उपेक्षा या चकू के कारण वन को पहुंचे ऐसे नुकसान के लिये प्रतिकार का निर्धारण उक्त वन प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा जिसका कि विनिश्चय, वन संरक्षक को अपील के अध्ययन अन्तिम, निश्चायक तथा पक्षकारों को बन्धनकारी होगा :

परन्तु नुकसान के लिए कोई भी प्रतिकार, अभिकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, निर्धारित नहीं किया जायगा ।

(सोलह) वह, समस्त समयों पर, ऐसे समस्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों का पालन तथा अनुपालन करेगा जो कि इंडियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम, 1927) के अधीन तत्समय प्रवृत्त हों, बनाये गये हों तथा जारी किये गये हों। अभिकर्ता के इस बात से अवगत होने पर कि किसी भी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा, पूर्वोक्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों में से किसी का भी मंग किया गया है, यह ऐसे मंग तथ्य की रिपोर्ट निकटतम वन पदाधिकारी को तत्क्षण करेगा और ऐसे मंग के किये जाने से सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों का पता लगाने में अपने पूर्ण प्रयत्नों का उपभोग करेगा तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा उसे या उन्हें सिद्ध दोष ठहरवाने में समस्त युक्तियुक्त सहायता, यदि अपेक्षित हो, देगा ।

(सत्रह) वह उक्त अध्यादेश, उक्त नियमों द्वारा या उनके अधीन उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य को करने या सम्पादित करने से विरत रहने तथा इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्पूर्ण पालन तथा अनुपालन के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (10) के अनुसार संगणित की गई तथा उक्त वन पदाधिकारी के पक्ष में निक्षिप्त की गई रुपये (रुपये) की राशि गिरवी रखने के लिए, एतद्वारा स्वयं को आबद्ध करता है। अभिकर्ता यह और भी करार करता है कि वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए, राज्य सरकार को 500 रुपये की धन राशि की देनगी करेगा जो इसके द्वारा की गई हो अथवा ऐसे प्रत्येक कार्य के लिये जो कि उक्त अध्यादेश, उक्त नियमों अथवा करार का उल्लंघन करते हुए उसके द्वारा अथवा नियोजित किये गये व्यक्तियों द्वारा किये गये हों।

(अठारह) यदि वह उपर्युक्त खण्ड (6) के उप-खण्ड (दो) में उपबन्धित किये गये अनुसार क्रय न करे या संग्रहीत न करे, बोरों में न भरे और। या मानक बोरों की संख्या परिदत्त न करे तो यह समझा जायगा मानों उसने अभिकर्ता के रूप में अपने आभारों का भंग किया है और वह रुपये से अधिक प्रति मानक बोरे की दर से प्रति कर की देनगी करने के दायित्वाधीन होगा।

(उन्नीस) तेन्दू पत्तों की किसी ढेरी या किन्हीं ढेरियों के परिदान करने के पश्चात् अभिकर्ता उस धन का लेखा प्रस्तुत करेगा कि उसे राज्य सरकार द्वारा क्रय तथा संग्रहण सम्बन्धी व्ययों की तथा राज्य सरकार की ओर से उसके द्वारा किये गये समस्त अन्य व्ययों की तथा उसके पारिश्रमिक की पूर्ति के लिये (राज्य सरकार द्वारा) उसको सौंपा गया हो, और उसे उसको शोध्य शेष की, यदि कोई हो, देनगी नियमों द्वारा विहित रीति में की जायगी, ऐसा करने में उक्त वन पदाधिकारी अभिकर्ता को सुनवाई का-युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी रकम या रकमों की कटौती कर सकेगा जो कि इस करार के अनुसार अभिकर्ता वसूली से योग्य या संभाव्यतः वसूली योग्य किसी शास्ति, भरपाई या किसी अन्य खर्चों या व्ययों के मद्दे राज्य को शोध्य हो या है।

(बीस) अभिकर्ता द्वारा तेन्दू पत्तों के अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिये जाने के कारण जिस किसी रकम की तेन्दू पत्तों के उगाने वाले को धारा 9 के अधीन प्रतिकर के रूप में देनगी करने के लिये राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती हो उस रकम की वसूली अभिकर्ता से की जा सकेगी।

(6) अभिकर्ता एतद्वारा अमिव्यक्त रूपेण घोषित करता है कि वह तेन्दू पत्तों को, जब कि यह उसके नियन्त्रण के अधीन हो, स्वरक्षित अभिरक्षा तथा संग्रह के लिये उत्तरदायी होगा और उसके द्वारा रखे गये तेन्दू पत्तों के स्टॉक को इस करार की समय बीतने के कारण या अन्यथा समाप्ति के दिनांक तक तथा को अग्नि तथा चोरी से बचाने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय भी करेगा।

(7) यदि अभिकर्ता करार की किसी भी शर्त को भंग करे और यदि ऐसे किसी भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो मण्डल वन अधिकारी प्रत्येक भंग

के लिए ऐसी शास्ति जो 500 (पाँच सौ) रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि 200 (दो सौ) रुपये से अधिक हो तो इस आदेश की विरुद्ध अपील वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता) को की जा सकेगी जिसका कि विनिश्चय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(8) यदि अभिकर्ता इस प्रकार के किसी भी उपबन्ध के पालन में चूक करे तो राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कोई भी अन्य अधिकार या प्रतिकार पर प्रतिमति प्रमाण डाले बिना, राज्य सरकार अपने विवेकानुसार, करार समाप्त कर सकेगा। इस करार के समाप्त हो जाने पर राज्य सरकार को अधिकार होगा कि:—

(क) कि उक्त (6) (सत्रह) में दर्शायी प्रतिभूति निक्षेप अधिहरित कर लें।

(ख) कि अभिकर्ता से करार के अनुसार वसूली योग्य या वसूली के लिए संभावित शास्ति, प्रतिकर प्रतिभूति, खर्च, बोध्य, मू-राजस्व के बकाया की मांति वसूल कर ले।

(ग) ऐसी कालावधि के लिये जो 3 वर्ष से अधिक न हो, अभिकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज कर दें।

(9) इस करार के अधीन अभिकर्ता से वसूली योग्य कोई भी रकम उससे मू-राजस्व से बकाया की मांति वसूल की जायगी।

अनुसूची—क

अनुसूची—ख

अनुसूची—ग

अनुसूची—घ

जिसके साक्ष में इससे सम्बन्धित पक्षों ने प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा अपनी-अपनी मुद्रा अंकित कर दी है।

(राजस्थान के राज्यपाल के लिये तथा उनकी ओर से सायं करते हुए)

..... के हस्ताक्षर

साक्षीयक—(1)

(2)

की उपस्थिति में—

साक्षीयक—(1)

(2)

की उपस्थिति में।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप "घ"

(नियम 4 (2) देखिये)

परिवहन अनुज्ञापत्र की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र का प्ररूप

- (क) आवेदक का नाम.....
- (ख) कप किये गये तेंदू पत्तों का परिमाण.....
- (1)वास्तविक बोरे,
- (2)मानक बोरे,
- (ग) वन मंडल तथा इकाई, जिसमें कि पत्ते कप किये गये.....
- (घ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ पत्ते संग्रहीत किये गये हों, यदि एक से अधिक स्थान पर हों तो प्रत्येक स्थान पर संग्रहीत परिमाण का उल्लेख.....
- (ङ) अपेक्षित प्रकार के अनुज्ञा-पत्र का उल्लेख.....
- (च) परिमाण जिसके लिये अनुज्ञापत्र अपेक्षित है.....
- (छ) अवधि जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र मान्य होना अपेक्षित है.....
- (ज) गंतव्य स्थान जहाँ से और तक पत्तों का परिवहन किया जाना है.....
.....से.....तक
- (झ) परिवहन का साधन.....
- (ञ) मार्ग जिनके द्वारा पत्तों का परिवहन किया जाना है.....
- (ट) वे स्थान जहाँ पत्ते जाँच पड़ताल के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे.....
- (थ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ परिवहन किये गये पत्ते संग्रहीत किये जावेंगे.....
विक्रय का।के प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है/ हैं।

स्थान

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप परि. अनु. 1 (मुख्य)

(देखिये नियम 4)

पुस्तिका क्रमांक.....पृष्ठ क्रमांक.....मूलतः प्रतिलिपि

परिवहन अनुज्ञापत्र (मुख्य)

(संग्रहागार डिपो से संग्रहण गोदाम को)

श्री।मैसर्स वन मंडल
 की इकाई क्रमांक के क्रेता ने करार के अनुच्छेद के अनुसार
 मानक बोरे का क्रय मूल्य रु पूर्णतः अंशतः
 चुकता किये हैं तदनुरूप उन्हें वास्तविक बोरे में बन्द
 मानक बोरे के (संग्रहण डिपो) से
 (संग्रहण गोदाम) तक परिवहन करने की आज्ञा दी जाती है।

(2) तक अनुज्ञापत्र वध है। उपरोक्त पत्तों का परिवहन
 निम्नांकित मार्गों से किया जायगा:—

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

तथा जाँच पड़ताल और परिनरीक्षा के लिये निम्नांकित स्थानों पर प्रस्तुत किया जायेगा:—

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

(3) परिवहन अनुज्ञापत्र 1 के विवरण (सहायक) जिसके उपयोग करने की
 अनुमति दी गई:—

पुस्तिका क्रमांक
 पृष्ठ क्रमांक से
 तक जारी करने के लिये वध है।

मंडल वन अधिकारी

प्ररूप परि. अनु. 1 (सहायक)

(देखिये नियम 4)

पुस्तिका क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

परिवहन अनुज्ञापत्र 1 (सहायक)

1. क्रेता का नाम
2. इकाई क्रमांक वन मंडल
3. परि. अनु. 1 (मुख्य) का संदर्भ:—

(एक) पुस्तिका क्रमांक पृष्ठ क्रमांक

(दो) अनुज्ञापित मात्रा मानक बोरे

..... वास्तविक बोरे

(तीन) तक बंध है ।

4. इस पृष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व ही उपरोक्त अधिकार के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा ।
5. इस अनुज्ञापत्र के साथ अब परिवहन मानक बोरे
की जा रही मात्रा का उल्लेख (प्रत्येक बोरे
के अनुक्रमांक तथा प्रत्येक मात्रा का उल्लेख
करें) वास्तविक बोरे
6. से तक
7. परिवहन के मार्ग ।
8. जांच पड़ताल के स्थान
9. (दिनांक) तक अनुज्ञा पत्र बंध है ।
(टिप्पण:—जब तक मंडल वन अधिकारी द्वारा लिखित में अन्यथा उल्लिखित न हो
समयावधि 48 घंटे से अधिक न होगी) ।

स्थान

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक घंटा ।

जांच की गई

जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर ।

प्ररूप परि. अनु. 2

(नियम 4 देखें)

पृष्ठिका क्रमांक पृष्ठ क्रमांक

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 2

(एक संग्रहागार गोदाम से किसी दूसरे अथवा वितरण केन्द्र के निमित्त)

1. क्षेत्र का नाम
2. इकाई क्रमांक वन मण्डल
3. मण्डल वन अधिकारी के अधिकार का सन्दर्भ क्रमांक दिनांक
4. उपरिमाण तथा अवधि जिसके कि लिये मानक बोरे
उपरोक्त 3 के अन्तर्गत अधिकार तक
प्रसारित किया गया है वास्तविक बोरे
5. उपरोक्त अधिकारान्तर्गत पूर्व में ही मानक बोरे
परिवहन करली गई मात्रा तक
6. इस अनुज्ञापत्र द्वारा अब परिवहन की वास्तविक बोरे
जा रही मात्रा मानक बोरे
..... वास्तविक बोरे

7. से तक
8. परिवहन का मार्ग
9. जाँच पड़ताल के स्थान अथवा स्थानों के नाम
10. तक यह अनुज्ञापत्र वध है ।

टिप्पण—जब तक मंडल वन अधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत न किया जाय
कालावधि 48 घंटे में अधिक न होगी ।

स्थान

.....
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ।

दिनांक समय

जाँच किया
दिनांक सहित जाँच पड़ताल करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर ।

प्ररूप परि. अनु. 3

(देखिये नियम 4)
परिवहन अनुज्ञापत्र-3
(सट्टेदारों अथवा मजदूरों में वितरण हेतु)

1. क्रेता का नाम
2. इकाई क्रमांक वन मंडल
3. संग्रहण डिपो जहाँ से पत्ते दिए गए हैं
4. उस व्यक्ति का नाम जिसको पत्ते दिये गये हैं
5. स्थान जहाँ इसका परिवहन किया जा रहा है
6. भावना
7. समयावधि जिसमें पत्तों की संपत्त होगी

टिप्पण:—पत्तों के परिवहन की आज्ञा की समयावधि जारी करने के समय से 24 घंटे होगी ।

स्थान

दिनांक घंटा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ।

प्ररूप परि. अनु. 4
(देखिये नियम 4)

पुस्तिका क्रमांक पृष्ठ क्रमांक

परिवहन अनुज्ञापत्र 4

मूलतः प्रतिलिपि

(राज्य के बाहर परिवहन के लिये)

1. श्रीमंसमं वन मंडल की
इकाई क्रमांक के क्षेत्र को वास्तविक बोरों में
भरे मानक बोरों के से तक सड़क द्वारा
तथा वहाँ से के लिये ट्रेन द्वारा परिवहन की अनुमति दी जाती है।

2. राजस्थान के बाहर भेजने वाले का नाम और पता
3. तक अनुज्ञापत्र वैध है।

स्थान
दिनांक
सील

मंडल वन अधिकारी,
वन मण्डल।

प्ररूप "ड."

[नियम 6 (2) देखिये]

पारा 10 के अधीन उगाने वालों के पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र का प्ररूप

- (क) आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम तथा आवेदक का पता
(ख) उन भूखंडों की स्थिति क्षेत्र तथा परिमाण-अंक जिन पर कि तेन्दू
पत्ते उगाये गये हैं
(ग) भूमि के स्वामित्व के बारे में विशिष्टियाँ
(घ) प्रत्येक भूखंड में विद्यमान तेन्दू के वृक्षों की संख्या
(ङ) क्या वह पत्ते वाणिज्यिक फसल के रूप में उगा रहा है, यदि ऐसा
है तो क्या उसने कोई काट-छांट की है और पिछले तीन वर्षों में
क्या खर्चा किया गया ? प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में खर्चा पृथक्-
पृथक् वर्णित किया जाय
(च) पत्तों का प्राकृतिक उत्पादन
(छ) गत तीन वर्षों में कितना परिमाण संग्रहीत किया गया । प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध
में उत्पादन का वर्णन किया जाय ।
(ज) तथा तुड़ाई के मौसम में (गत दो मौसमों) के
बौरान पत्ते किसको और कितनी रकम में बेचे गये
(झ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ तेन्दू पत्ते परिधान न होने तक अस्थायी रूप से संग्रहीत
किये जायेंगे

स्थान
दिनांक
पुष्टिका क्रमांक

.....
आवेदक के हस्ताक्षर
पृष्ठ क्रमांक
(दो पत्तों में)

प्ररूप "च"

(नियम 6 (2) देखिये)

(उगाने वालों के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... आत्मज.....
ग्राम..... तहसील..... जिला.....
 वन मंडल.....की इकाई क्रमांक.....में स्थित, का राजस्थान
 तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 10 के प्रयोजनों के लिये तेन्दू
 पत्ते उगाने वाले के रूप में.....पंजीकरण किया गया है। उसके
 निम्नलिखित खातों में बीड़ी निर्माण योग्य पत्तों का प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन.....
 मानक बोरे हैं। संग्रहागार के स्थान यह होंगे.....

खातों का विवरण ।

(1)
 (2)
 (3)

.....
 मंडल वन अधिकारी के हस्ताक्षर।
वन मंडल
 दिनांक.....

प्ररूप "छ"

[नियम 8 (2) देखिये]

धारा 11 के अधीन बीड़ियों के निर्माता अथवा तेन्दू पत्तों के निर्यातक के पंजीकरण के लिए

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम, उस के पिता का नाम तथा आवेदक का पता, यदि वह पंजीकृत
 फर्म या कम्पनी हो तो फर्माया कम्पनी का नाम, पंजीकरण का वर्ष मुखतारनामा धारण करने
 वाले व्यक्ति का नाम तथा पता, मुखतारनामों की प्रति संलग्न की जाय।

2. कारवार का/के स्थान या, मुख्यालय या प्रधान कार्यालय की स्थिति ग्राम या
 शहर, तहसील, पुलिस-थाना तथा जिला।

3. मानक बोरे में तेन्दू पत्तों के व्यापार का विवरण :-

(क) प्रति वर्ष निमित्त बीड़ियों का औसत परिमाण और/या गत तीन वर्षों के दौरान
 राज्य से बाहर प्रति वर्ष निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का औसत परिमाण तथा
 गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण।

19

19

ओसत-----

(ख) निर्माता की दशा में, व्यापार चिन्ह, यदि कोई हो तथा निर्यातक की दशा में उस स्थान का नाम, जहाँ पत्तों का निर्यात किया जाता है ।

(ग) तेन्दू पत्तों की

(एक) बीड़ियों के निर्माण ।

(दो) निर्यात ।

के प्रयोजनों के लिए मानक बोरो में प्राक्कलित वार्षिक आवश्यकता ।

(घ) गोदाम का/के स्थान या स्थानों का/के नाम जहाँ आवेदक के तेन्दू पत्तों का स्टॉक संगृहीत किया जाता है ।

(ङ) रीति, जिसमें कि अपेक्षित स्टॉक प्राप्त किया जाता है ।

(च) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पंजीकरण क्रमांक, यदि कोई हो ।

4. आवेदक

(एक) बीड़ियों का निर्माता,

(दो) पत्तों के निर्यातक, के रूप में कब से तेन्दू पत्तों का व्यापार करता है ।

5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनको कि आवेदन-पत्र के व्योरो के सत्यापन के लिए निर्देश किया जा सके

(1)

(2) -

6. मानक बोरो में पत्तों का परिमाण जिसके लिए कि पंजीकरण अपेक्षित है ।

7. वर्ष जिसके लिए पंजीकरण अपेक्षित है ।

8. क्या आवेदक पूर्व में पंजीकृत किया गया था और ऐसा है तो किस वर्ष में किस खंड में तथा पत्तों के कितने परिमाण के लिए ।

9. कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक इस साक्ष्य के रूप में देना चाहे कि वह बीड़ियों का वास्तविक निर्माता तथा/या पत्तों का वास्तविक निर्यातक है ।

10.रु. पंजीकरण फीस की देनगी के संबंध में साक्ष्य ।

स्थान

दिनांक

.....

आवेदक के हस्ताक्षर ।

प्ररूप "ज"

[नियम 8 (2) देखिये]

पुस्तिका क्रमांकपृष्ठ क्रमांक.....

(तीन पत्तों में)

बीड़ियों के निर्माता और/या तेन्दू पत्तों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मैसर्स.....आत्मज.....

.....मैसर्स.....(स्थान).....तहसील.....

जिला को राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1973 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिये बीड़ियों के निर्माता और/या तेन्दू पत्तों के निर्यातक के रूप में वर्ष के लिये पंजीकृत किया गया है।

बीड़ियों के निर्माण और या तेन्दू पत्तों के निर्यात के लिये प्रतिवर्ष हाथ में लिये गये पत्तों का प्राक्कलित परिमाण लगभग मानक बोरे हैं, और जो निम्न-लिखित में से एक, अधिक या समस्त स्थानों पर संग्रहीत किये जायेंगे:—

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

(कार्यालय की मुद्रा)

.....
मंडल वन अधिकारी के हस्ताक्षर
..... वन मंडल।
दिनांक.....

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, राजस्थान, जयपुर की ओर से सूचनार्थ अग्रेषित है।

.....
मंडल वन अधिकारी,
वन मंडल।

प्ररूप "झ"

[नियम 8 (4) देखिये]

निर्माता/निर्यातक के तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रजिस्टर

गोदाम का नाम निर्माता/निर्यातक का नाम
पंजीकरण क्रमांक.....

गत विवरणी प्रस्तुत करने के समय हस्तगत	स्टाक (मानक बोरो के रूप में) के जोड़े जाने के दिनांक तथा परिमाण	कालम 3 के बोरो को अर्जन करने की रीति (सत्यापनीय व्योरे दीजिये)	कालम एक तथा 3 का योग
शेष स्टॉक मानक बोरो में	दिनांक जिसको स्टॉक प्राप्त किया गया तथा जोड़ा गया	(बोरे)	
(1)	(2)	(3)	(4)
			(5)

1	2	3	4	5
स्टाक (मानक बोरो के रूप में) का निर्वतन की रीति (इस निर्वतन किये जाने के दिनांक तथा परिमाण	संबंध में सत्यापनीय ब्यौरे दीजिये, कि क्या स्ट्राक का उपभोग किया गया या उसे विक्रय किया या वह अनुपयोगी होगया तथा नष्ट कर दिया गया	कालम 7 के परिमाण के निर्वतन के पश्चात् बचा हुआ शेष मानक बोरो में	टिप्पणियाँ	
दिनांक जिसको गोदाम से स्ट्राक हटाया गया	बोरो	या उसे विक्रय किया या वह अनुपयोगी होगया तथा नष्ट कर दिया गया		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टिप्पणः—उपर्युक्त लेखा प्रत्येक गोदाम के लिये रखा जायगा ।

प्ररूप "अ"
[नियम 8 (4) देखिये]

निर्माता/निर्यातक के तैदू पत्तों की नियतकालिक विवरणी का विवरण ।

.....को समाप्त होने वाली कालावधि के लिये विवरणी ।

निर्माता/निर्यातक का नामपंजीकरण क्रमांक

गोदाम का क्रमांक तथा नाम जहाँ स्ट्राक संग्रहीत किया गया हो	गत विवरणी प्रस्तुत करने के समय हस्तगत शेष स्ट्राक या पंजीकरण के समय हस्तगत स्ट्राक (मानक बोरो के रूप में)	गत विवरणी तथा इस विवरणी की प्रस्तुती के बीच अन्तराल के दौरान जोडा गया स्ट्राक	मानक बोरो	प्ररूप "अ" के रजि-स्टर के पृष्ठ क्रमांकों का संदर्भ	कय रसीद आदि जैसे साक्ष्य का संदर्भ देते हुए पत्तों के अर्जन का मास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)					
(2)					
(3)					

कालम 2 तथा 3 गत तथा इस निर्व- निर्वतन की रीति विवरण की प्रस्तुती टिप्पणियाँ
का योग तन विवरणी के बीच गया उस परिमाण के दिनांक को स्टॉक
की कालावधि के का उपयोग किया का शेष (मानक
दौरान उपयुक्त या गया या विक्रय बोरो में))
निर्वतित की गई किया गया या
मात्रा (मानक बोरो अनुपयोगी हो गया
में) तथा नष्ट करते दिया
गया

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर.....

विवरणी प्रस्तुत किये जाने का दिनांक.....

परूप "ट"

[नियम 8 (5) देखिये]

निर्माता/निर्यातक द्वारा घोषणा

मैं/हम.....एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि
मैं/हम बोर्डियों का वास्तविक निर्माता तथा/या तेन्दू पत्तों का वास्तविक निर्यातक हूँ/हैं और
.....राज्य के.....
जिले में कारबार कर रहा हूँ, मेरे कारबार के बारे में निम्न प्रकार है:—

1. व्यक्ति या फर्म या कम्पनी का नाम जिसके नाम से कारबार किया जाता है.....

2. फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.....

3. कारखाने के केन्द्रों के जिनमें कि कार्यालय या गोदाम हो नाम :—

- (1)
(2)
(3)

4. घोषणा प्रस्तुत करने के समय प्रत्येक गोदाम में मानक बोरो में तेन्दू पत्तों का वर्तमान स्टॉक :—

संग्रह केन्द्रों का नाम

परिमाण (मानक बोरो में)

- (1)
(2)
(3)

5. बीड़ी का के व्यापार चिन्ह, यदि कोई हो।हों :—

6. पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बीड़ियों का परिमाण तथा उपयोग में लाये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण :—

वर्ष	निर्मित बीड़ियों की संख्या (संख्या में)	उपयोग में लाये गये पत्तों का परिमाण (मानक बोरो में)
(1)	(2)	(3)
(1)		
(2)		

7. आगामी वर्ष के दौरान बीड़ियों का प्राक्कलित निर्माण और उसके तेन्दू पत्तों की प्राक्कलित आवश्यकता :—

(क) प्राक्कलित निर्माण, संख्या में

(ख) मानक बोरो में पत्तों की प्राक्कलित आवश्यकता

8 पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निर्यात किये गये तेन्दू पत्तों का परिमाण :—

वर्ष	निर्यात का स्थान	किसको निर्यात किया गया या बेचा गया	परिमाण (मानक बोरो में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(1)		
	(2)		
	(3)		

1	2	3	4
(2)	(1) (2)		

9 आगामी वर्ष के दौरान प्राक्कलित निर्यात,
मानक बोरों में

मैं यह और घोषित करता हूँ कि मैंने राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1973 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ़ लिये हैं तथा समझ लिये हैं ।

ऊपर दिये गये समस्त ब्योरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार ठीक हैं और उनके प्रमाण मैं साक्ष्य पेश कर सकूंगा ।

स्थान:—

.....
निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

घोषणा प्रस्तुत करने का दिनांक

(दिनांक) को (पदाधिकारी) को

(स्थान) पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई ।

.....
निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि वन संरक्षक, तेन्दू, पत्ता, राजस्थान, जयपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित है ।

.....
निर्माता/निर्यातक के हस्ताक्षर

प्ररूप "ठ"

(नियम 9 देखिये)

पुस्तिका क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

विक्रय का प्रमाण-पत्र

1. क्रेता का नाम

2. विक्रयगार तथा इकाई का नाम

3. विक्रित/परिदत्त परिमाण (मानक बोरो में)

4. विक्रेया/परिदत्त का दिनांक

.....
राज पदाधिकारी/अभिकर्ता अथवा
इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

प्ररूप "ड"

(नियम 10 देखिये)

(1) आवेदक का नाम

(2) वन मण्डल तथा इकाई जिसमें कि खुदरा बिक्री की जावेगी

(3) पूरा पता

(4) तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में पूर्व अनुभव यदि कोई हो

(5) तेन्दू पत्तों का परिमाण जिनका गत तीन वर्षों में संग्रह तथा व्यापार किया गया हो

(6) रुपये 2 आवेदन फीस की देनगी का साक्ष्य ।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

राज्यपाल की आज्ञा से,
डी. सी. जोसफ,
राजस्व सचिव ।